न्यायालयः सिविल जज ।जूनियर डिवीजन ।जलेसर,एटा।
मूलवाद संख्या–65 / 2015
रामदास———————बनाम——————मनमोहन आदि

2.11.2017

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार पर उभय पक्ष अनुपस्थित है। किसी पक्षकार की ओर से कोई विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं है एवं किसी प्रकार का कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। आदेश–पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभयपक्षकार विगत कई तिथियों से अनुपस्थित है एवं उनकी ओर से किसी प्रकार का कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वह उपरोक्त वाद कार्यवाही को अग्रेसित कराने का इच्छुक नहीं है। अतः उपरोक्त वाद उभयपक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद संख्या–65 / 2015 उभय पक्षकार की अनुपस्थिति में आदेश–9 नियम–3 सी.पी.सी निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

सिविल जज ।जू0डि0।
जलेसर, एटा।